न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 249/2013

वादीगण :-

1. छतरसिंह पुत्र जबरसिंह
2. रूमाकंवर बेवा जबरसिंह
   जातियान-राजपुत,
   निवासीगण-बस्सी (आ.कालू)
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण
   तह.-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.27.09.2013

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 12/12/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बस्सी, पटवार हल्का-आ.कालू-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी आराजी ख.नं. 1268 रकबा 51-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उक्त आराजी वादीगण पैतृक व पुश्तैनी आराजी है जो निम्न वंशानुसार हैं। दौलतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह (फौत) के गोद पुत्र जब्बरसिंह (फौत) तथा जब्बरसिह फौत के पुत्र छतरसिंह व पत्नि रूमाकंवर हैं। उक्त आराजी में दौलतसिंह का 1/4 हिस्सा है। इस हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश की है। स्वर्गीय सुल्तानसिंह के कोई औलाद नही होने से उन्होने अपने जीवनकाल में वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति जब्बरसिंह को गोद ले लिया था तथा जब्बरसिंह भी फौत हो चुके है तथा उक्त आराजी आज दिन तक भी सुल्तानसिह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर कब्जा वादीगण का शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण को उक्त कृषि भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने हेतु ऋण की आवश्यकता हुई, तक हल्का पटवारी के पास जाकर राजस्व रेकर्ड देखा, तब पता चला कि उक्त आराजी में जब्बसिंह के नाम तथा उनके पश्चात् वादीगण के नाम म्युटेशन नही भरा गया तथा वादीगण द्वारा लिखित में एक प्रार्थना-पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र पटवारी के समक्ष पेश किया तब पटवारी ने मना कर दिया, तब यह वाद घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया है। वादीगण द्वारा दिनांक 05/09/2013 को प्रतिवादी को लिखित में प्रार्थना-पत्र पारित किया कि उनके नाम उक्त आराजी का म्युटेशन पारित किया जावे तथा वादीगण ही स्व. दौलतसिंह के एक मात्र वारिसान हैं, तब प्रतिवादी द्वारा ईन्कार होने पर वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। उक्त वाद में अन्य सहखातेदारी को पक्षकार नही बनाया गया है क्योंकि उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। बिनायवाद दिनांक 05/09/2013 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण पक्ष में म्युटेशन पारित करने से ईन्कार होन पर बगुकाम-बस्सी, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी को जबाब पेश करने हेतु अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने से उनका जबाब बन्द किया जाता हैं। वादी छतरसिंह साक्षी बाबूसिंह नरपतसिंह द्वारा बयान के लिए शपथ–पत्र पेश किये गये। वाद के पक्ष में बयान से जाहिर होता हैं। वादीगण अपना नाम 1/4 हिस्से मे दर्ज कराने का अधिकारी हैं। वादीगण का स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बस्सी, पटवार हल्का–आ.कालू–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी आराजी ख. नं. 1268 रकबा 51–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में स्व0 दौलतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के स्थान पर वादीगण के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/12/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

कोर्ट अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

ईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. छतरसिंह पुत्र जबरसिंह		1. राजस्थान सरकार जरिए
2. रूमाकंवर बेवा जबरसिंह		तहसीलदार, जैतारण
जातियान–राजपुत,		तह.–जैतारण, जिला–पाली
निवासीगण–बस्सी (आ.कालू)		
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 249/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बस्सी, पटवार हल्का–आ.कालू–द्वितीय, तहसील–जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी आराजी ख.नं. 1268 रकबा 51–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में स्व0 दौलतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के स्थान पर वादीगण के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/12/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	–00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	–00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	04	–00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	06	–00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner